

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-1
सं0-रा0क0-1-892/11-2025-116/19
लखनऊ :: दिनांक :: 22-04-2025

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य कर विभाग के कतिपय अधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन कॉलम-2 में अंकित पद पर कार्य कर रहे हैं, को कॉलम-3 में अंकित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वांछित परीक्षा की तैयारी के लिए अलग से कोई छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम व वर्तमान तैनाती स्थल (पत्र के अनुसार)	परीक्षा का नाम
1	2	3
1	श्री केशव किशोर सिंह , सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, कानपुर	1.उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी0सी0एस0 मुख्य परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने हेतु । 2.उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी0सी0एस0 प्रारम्भिक परीक्षा-2025 एवं राज्य वन सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2025 में सम्मिलित होने हेतु ।
2	श्री अरविंद कुमार निषाद, सहायक आयुक्त राज्य कर, सचल दल, द्वितीय इकाई, झांसी।	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी0सी0एस0 मुख्य परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने हेतु ।
3	श्री दानुष बंसल, सहायक आयुक्त , राज्य कर, खण्ड-1, शामली ।	1.उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी0सी0एस0 प्रारम्भिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने हेतु । 2.सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2025 में सम्मिलित होने हेतु ।

Signed by

Raghubir Prasad

Date: 22-04-2025 17:58:49

संयुक्त सचिव।

संख्या-रा0क0-1-892(1)/11-2025, तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.आयुक्त, राज्य कर उ0प्र0 लखनऊ ।
- 2.संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, राज्य कर उ0प्र0 लखनऊ ।
- 3.गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,

Signed by

(सुनील कुमार मण्डल)

अनु सचिव।

Date: 22-04-2025 19:26:03

पत्रांक:स्था0.1 परीक्षा अनुमति/सहायक आयुक्त/2025-26/

500 /राज्य कर
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक : 02/05 2025

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनु सचिव, राज्य कर अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-रा0 क0-1-892/11-2025-116/19 दिनांक 22.04.2025 के अनुपालन में सूचनार्थ।
2. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
3. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को शासन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त प्रमाण पत्र को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित अधिकारी को नाम से।
5. डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, स्थापना राजपत्रित अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(श्याम प्रसाद)

संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।